उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पर्यावरण भवन, टी0सी0–12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या: F83834 / सी–7 / एन0ओ0सी0–554 / बरेली / 2015 दिनॉक: 19-7-16

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स आनन्द लाईफस्पेस डेवलपमेंट एल.एल.पी.,
द्वारा "जीवन सुख " ग्राम–नवदिया इलाका सिंघाई, निकट बड़ा बाईपास, पीलीभीत रोड,
बरेली।

विषय: पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण), 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापनार्थ सहमति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनॉक–06.04.2016 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया, अवगत हों कि उद्योग को पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवम् सामन्य शर्तो (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त स्थापनार्थ सहमति जारी की जाती है।

1. स्थापनार्थ सहमति निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत की जा रही है :–

(क) **स्थल–** मैसर्स आनन्द लाईफस्पेस एल एल पी द्वारा " जीवन सुख " नामक परियोजना, खसरा संख्या–104, 105, एवं 106 ग्राम–नवदिया इलाका सिंघाई, तहसील व जनपद–बरेली।

(ख) **हाउसिंग प्रोजेक्ट की स्थापना–** डबल स्टोरी हाउसिंग बिल्डिंग (180 हाउस)। बिल्टअप एरिया–19898.31 वर्ग मीटर तथा कुल क्षेत्रफल– 24246 वर्ग मीटर। (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन के पत्र संख्या 246 / आ0ब0–1 / स0आ0यो0–पंजीकरण / 2016 लखनऊ, दिनॉक 03.03.2016 द्वारा " जीवन सुख" नाम परियोजना की स्वीकृत डी0पी0आर0 के अनुसार)

(ग) **मुख्य कच्चा माल:** बिल्डिंग मैटेरियल।

(घ) **घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा:** 105 कि0ली0 / दिन।

(ड.) **प्रयुक्त ईधन:** 30 के0वी0ए0 क्षमता के कैनोपी युक्त डीजी सेट हेतु डीजल आवश्यक्तानुसार।
(केवल निर्माण कार्य हेतु)।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः स्थापनार्थ सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2 परियोजना में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पटि्टका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिर्पोट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा 105.0 कि0ली0 / दिन से अधिक नही होगी। **एस0टी0पी0 (सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट)** के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाये।

.........2 / –

मैसर्स आनन्द लाईफस्पेस डेवलपमेंट एल.एल.पी.,
द्वारा "जीवन सुख" ग्राम–नवदिया इलाका सिंघाई, निकट बड़ा बाईपास, पीलीभीत रोड, बरेली।

4 प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में 30.09.2016 तक अवश्य प्रस्तुत की जाये।

5 प्रस्तावित हाउसिंग प्रोजेक्ट पूर्ण होने के पश्चात् एस0टी0पी0 के संचालन हेतु बोर्ड से जल अधिनियम के अन्तर्गत ट्रायल सहमति प्राप्त की जाए।

6 प्रस्तावानुसार आवासीय परियोजना से जनित 105 कि0ली0/दिन के शुद्धीकरण हेतु 110 कि0ली0/दिन का सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट की स्थापना बोर्ड में जमा किये गये प्रस्ताव के अनुरूप परियोजना के कियान्वयन से पूर्व स्थापित करना सुनिश्चित किया जाए।

7 परियोजना से जनित सीवेज के शुद्धीकरण के पश्चात् पूर्ण रूप से हॉर्टीकल्चर/हरित पट्टिका में सिंचाई इत्यादि में प्रयोग किया जाए तथा किसी नदी/नाले में निस्तारित नहीं किया जाए।

8 प्रस्तावित परियोजना का बिल्ट–अप एरिया कदापि दर्शित क्षेत्रफल (19898.31 वर्गमीटर) से अधिक नहीं होगा, अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्लीयरेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

9 परियोजना से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं निस्तारण प्रस्तावानुसार इस प्रकार किया जाए कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

10 परियोजना द्वारा जल सप्लाई हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथारिटी की अनुमति प्राप्त कर 03 माह में बोर्ड को प्रेषित की जाए।

11 परियोजना द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का पूर्णतया पालन किया जाए।

12 किसी भी प्रकार के ईंधन का प्रयोग नहीं किया जाए।

13 आवासीय परिसर में वैकल्पिक ऊर्जा के सम्बर्धन हेतु सोलर लाईट की स्थापना किया जाए।

14 प्रस्तावानुसार 30 केवीए क्षमता के डी0जी0 सेट का उपयोग केवल निर्माण कार्य के दौरान ही किया जाए।

15 परियोजना परिसर के कम से कम नियमानुसार क्षेत्रफल में चारो तरफ हरित पट्टिका का विकास किया जाए तथा खाली पड़े अन्य भू–भाग पर अधिक से अधिक वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाए।

16 परियोजना द्वारा ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण इस प्रकार सुनिश्चित किया जाए कि किसी प्रकार से जल, वायु तथा मृदा प्रदूषण की संभावना न रहे।

17 परियोजना में अग्नि शमन के साथ अन्य सुरक्षा के सभी अपेक्षित उपाय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

18 परियोजना द्वारा जल सप्लाई के समस्त श्रोतों पर वाटर मीटर स्थापित किया जाए तथा जल उपकर अधिनियम 1977 के प्राविधानों का पालन किया जाए।

19 प्रस्तावित आवासीय कालोनी में आकस्मिक अग्निशमन हेतु अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर दिये गये सुझाव का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

20 आवासीय परियोजना का निर्माण कार्य नेशनल बिल्डिंग कोड, के अनुसार पूर्ण किया जाये तथा संबन्धित विभाग के अनुसार निर्माण कार्य भूकम्परोधी तकनीकी के अनुरूप किया जाये।

..................3/–

मैसर्स आनन्द लाईफस्पेस डेवलपमेंट एल.एल.पी.,
द्वारा ''जीवन सुख'' ग्राम–नवदिया इलाका सिंघाई, निकट बड़ा बाईपास, पीलीभीत रोड, बरेली।

21. परियोजना के क्रियान्वयन, सिविल कन्सट्रक्शन के दौरान उत्सर्जित धूल आदि के नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव, डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था की जाएगी।
22. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य है।
23. संवेदनशील शर्त सं0 6 से 13 के अनुपालन हेतु जमा की गई बैंक गारण्टी रू0 2,50,000/–(रूपया दो लाख पचास हजार मात्र) उक्त शर्तों के अनुपालन न करने की दशा में जब्त कर ली जाएगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तो एवम् सामान्य शर्तो का प्रभावी एवम् संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत स्थापनार्थ सहमति निरस्त कर दी जायेगी। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि स्थापनार्थ सहमति की शर्तों मे संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तो के संबंध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में 30.09.2016 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा स्थापनार्थ सहमति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय,

(एस0सी0 यादव)
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं0 /एन0ओ0सी0 तद्दिनॉक :

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मेसर्स आनन्द लाईफस्पेस एल एल पी द्वारा '' जीवन सुख '' नामक परियोजना, खसरा संख्या–104, 105, एवं 106 ग्राम–नवदिया इलाका सिंघाई, तहसील व जनपद–बरेली को प्रदत्त स्थापनार्थ सहमति में अधिरोपित समस्त शर्तों का अनुपालन उद्योग से ससमय कराते हुए अपनी अनुश्रवण आख्या प्रत्येक तीन माह में बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

13.07.16